



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
मानव संसाधन विकास प्रभाग
Human Resource Development Division

मान्यता प्रमाण-पत्र
Certificate of Recognition


[केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित उपाय) विनियम 2023 के तहत]
[Under Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations 2023]

फा.सं. / F.No. : 6/75/2025-HRD/422

प्रमाणित किया जाता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इरीगेशन एवं पावर, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस, गुरुग्राम, हरियाणा (जो केंद्रीय सिंचाई और पावर बोर्ड के स्वामित्व में है) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र (नवीकरणीय उत्पादन) के प्रचालन एवं रख-रखाव के खंड से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिए जाने हेतु, श्रेणी-I (ग्रेड-A) प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर तीन (03) वर्षों के लिए (17 फरवरी, 2025 से 16 जनवरी, 2028 तक) मान्यता प्रदान की जाती है। यदि इस अवधि के दौरान संस्थान का स्वामित्व बदलता है, तो के.वि.प्रा. द्वारा दी गई मान्यता स्वतः ही रद्द और निरस्त हो जायगी, जो कि के.वि.प्रा. द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।

Certified that **Central Board of Irrigation and Power, Centre of Excellence, Gurugram, Haryana (Owned By Central Board of Irrigation and Power)** is hereby granted recognition by Central Electricity Authority, Government of India as **Category-I (Grade-A)** training institute for imparting training in Operation & Maintenance (O&M) Segment of Power Sector in the field of Renewable Generation for three (03) years w.e.f. **17th February, 2025 upto 16th February, 2028. if the ownership of the institute changes during this period, the recognition granted by the CEA will automatically be revoked and canceled, in line with the guidelines issued by the CEA.**

स्थान / Place : New Delhi
दिनांक / Dated : 03/03/2025


03/03/2025
Secretary (CEA)
सचिव (के.वि.प्रा.)
राकेश कुमार / RAKESH KUMAR
सचिव / Secretary
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण / C.E.A.
विद्युत मंत्रालय / Ministry of Power
नई दिल्ली / New Delhi